

शिवचरणसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य

प्र0सं0-: 43/2024(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 27/01/2026

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या- 43/2024 रे.वाद

दायर दिनांक - 27/06/2024

निर्णय दिनांक- 27/01/2026

अनवान

1. शिवचरणसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. राजेन्द्रसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. शक्तिसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. कल्याणसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. गोपालसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
4. मनोहरसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - अनुपस्थित ।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 479 आराजी संख्या 1205, 1206, 1925/3545 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान



21/1
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

शिवचरणसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य

प्र0सं0-: 43/2024(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 27/01/2026

की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	कल्याणसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर गोपालसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर भंवरसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर मनोहरसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर	1205 1206 1925	0.1400 0.1400 0.5400	चाही 3 चाही 3 बारानी 3
	योग	किता-03	0.82	-
2.	राजेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि. बैंक उदयपुर शक्तिसिंह पुत्र कानसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि. बैंक उदयपुर शिवचरणसिंह पुत्र कानसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि. बैंक उदयपुर	1025/1 1206/1 1925/1	0.1400 0.1400 0.5400	चाही 3 चाही 3 बारानी 3
	योग	किता-03	0.82	-

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। कुर्रेजात रिपोर्ट में जिन नम्बरों का विभाजन किया गया है, उनके काल्पनिक नम्बर दिए गए और उक्त निर्णय अनुसार पटवारी द्वारा नामान्तरण दर्ज करते समय चूंकि वर्तमान में ऑनलाईन प्रक्रिया है जिसमें विभाजित नम्बर के स्वतः नये नम्बर जनरेट हो जाते हैं। इसलिए पटवारी डिक्री में दर्ज खसरें एवं उससे बने नये नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल पृथक से संधारित करें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)

सहायक कलेक्टर गढ़
दिवान, जिला राजसमंद

शिवचरणसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य

प्र०सं०-: 43/2024(रे०वाद)

निर्णय दिनांक:- 27/01/2026

अंतिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इब्तादाई

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- मोहकम सिंह सिनसिनवार आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :- 43/2024

अनवान

1. शिवचरणसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. राजेन्द्रसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. शक्तिसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. कल्याणसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. गोपालसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
4. मनोहरसिंह पिता हांसूसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - अनुपस्थित

में इस आशय मे दिनांक 27/01/2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी की संयुक्त खातेदारी और कब्जे की जमीन ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 479 आराजी संख्या 1205, 1206, 1925/3545 कुल किता 03 कुल



nr
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

शिवचरणसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य

प्र0सं0-: 43 / 2024 (रोवाद)

निर्णय दिनांक:- 27 / 01 / 2026

रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	कल्याणसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर गोपालसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर भंवरसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर मनोहरसिंह पुत्र हांसुसिंह 1/4 राजपुत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि.बैंक उदयपुर	1205 1206 1925	0.1400 0.1400 0.5400	चाही 3 चाही 3 बारानी 3
	योग	किता-03	0.82	-
2.	राजेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार. रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि. बैंक उदयपुर शक्तिसिंह पुत्र कानसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि. बैंक उदयपुर शिवचरणसिंह पुत्र कानसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता जि.स.भू.वि. बैंक उदयपुर	1205/1 1206/1 1925/1	0.1400 0.1400 0.5400	चाही 3 चाही 3 बारानी 3
	योग	किता-03	0.82	-

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। कुर्रजात रिपोर्ट में जिन नम्बरों का विभाजन किया गया है, उनके काल्पनिक नम्बर दिए गए और उक्त निर्णय अनुसार पटवारी द्वारा नामान्तरण दर्ज करते समय चूंकि वर्तमान में ऑनलाईन प्रक्रिया है जिसमें विभाजित नम्बर के स्वतः नये नम्बर जनरेट हो जाते हैं। इसलिए पटवारी डिक्री में दर्ज खसरे एवं उससे बने नये नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल पृथक से संधारित करें। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।



(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द